मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय

क्रमांक /73039 /2021/15-1 भोपाल, दिनांक -09-2021

प्रति,

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं, म.प्र.
भोपाल

विषयः-म.प्र. राज्य सहकारी संघ को प्रशिक्षित तकनीकी एवं व्यावसायिक दक्षतायुक्त मानव संसाधन सेवा प्रदाता आउटसोर्स एजेंसी के रूप में कार्य के संबंध में।

संदर्भः-आयुक्त सहकारिता की ई-नस्ती दिनांक 11.8.2021 (कंप्यूटर नं. 73039)

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयुक्त सहकारिता की संदर्भित ई-नस्ती कंप्यूटर नं. 73039 दिनांक 11.8.2021 द्वारा राज्य सहकारी संघ के प्रस्ताव पर मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक दिनांक 4.8.2021 के संदर्भ में आयुक्त सहकारिता द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार राज्य सहकारी संघ को मूल कार्यो के साथ-साथ मानव संसाधन आउटसोर्सिंग एजेंसी का कार्य करने संबंधी प्रस्ताव पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

2/ निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में सहकारी अधिनियम / नियम के प्रावधान अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(मनोज सिन्हा)
उप सचिव
सहकारिता विभाग

पृ.क्रमांक 1017 /73039 /2021/15-1 भोपाल, दिनांक 03-09-2021

प्रतिलिपि/-

प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल।

उप सचिव
सहकारिता विभाग

M.P. STATE COOPERATIVE UNION LTD. No. 307 Date 6-9-21 BHOPAL

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐ (म.प्र)

पता विन्ध्याचल भवन, भोपाल – 462005
दूरभाष–0755–2551134 (Email-rcs.edutrain@mp.gov.in)

क्रमांक / शि.प्र. / 2021 / 86 भोपाल, दिनांक 09/09/2021

प्रति,

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित
भोपाल

विषयः संघ व्दारा प्रशिक्षित (तकनीकी एवं व्यवसायिक दक्षता युक्त मानव संसाधन) सेवा प्रदाता / आऊटसोर्स एजेंसी के रूप में कार्य करने बाबत।

संदर्भः (1) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा ई–आफिस से प्रेषित प्रस्ताव File No. COP/0011/2021-MPSCU- MPSCU-(Computer No. 67448) दिनांक 07-07-2021

(2) म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग का पत्र क्रमांक /017/ 73039/ 2021/ 15–2 दिनांक 03.09.2021

विषयान्तर्गत म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा संदर्भित ई–नस्ती से प्रदेश के सहकारी क्षेत्र अन्तर्गत मानव संसाधन प्रदाता एजेंसी के रूप में कार्य करने बाबत प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी में विचार किये जाने के उपरांत अनुसंशा सहित राज्य शासन को प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था।

राज्य सहकारी संघ के उक्त प्रस्ताव पर संदर्भित पत्र क्रमांक (2) व्दारा म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त स्वीकृति के तारतम्य में राज्य सहकारी संघ को एतद द्वारा राज्य सहकारी संघ को मानव संसाधन सेवा प्रदाता एजेंसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाती है।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें म.प्र.

क्रमांक / शि.प्रशि. / 2021 / 86 भोपाल, 09 दिनांक 2021

प्रतिलिपिः

1– अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग की ओर सूचनार्थ।
2– निज सचिव, मान.मंत्री जी, सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग, म.प्र. शासन की ओर भेजकर मान.मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें म.प्र.

M.P. STATE COOPERATIVE UNION LTD. No 329 Date 13-9-21 BHOPAL

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल

ई–8/77,शाहपुरा, भोपाल

फोन 0755–2926160, 4034839
E-mail: rajyasanghbpl@yahoo.co.in, mpscu.bpl@mp.gov.in
Website :- www.mpscu.in, Portal id- mpscuonline.in

International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

क्र./सेवा.प्र./2025/ **भोपाल दिनांक.....**

प्रति,

.....
.....
.....

विषय :– म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रशिक्षित (तकनीकी एवं व्यवसायिक दक्षता युक्त मानव संसाधन) सेवा प्रदाता/आउटसोर्स एजेन्सी विषयक।

संदर्भ :– 1. म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग का पत्र क्र./017/73039/2021/15–2 दि. 03.09.21
2. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, म.प्र. का आदेश क्र./शि.प्र./2021 86 भोपाल दिनांक 9.9.2021

म.प्र. राज्य सहकारी संघ सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग द्वारा वित्त प्रदत्त शीर्ष सहकारी संस्था है जिसका मुख्य कार्य सहकारी क्षेत्र में शिक्षा–प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास तथा शासकीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना है। संघ की उपविधियों में संघ को सहकारी क्षेत्रों के साथ–साथ अन्य विभागों/सेक्टरों में भी प्रशिक्षित मानव संसाधन विकास संबंधी कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। विस्तृत जानकारी हेतु संघ का ब्रोशर **(परिशिष्ट –1)** संलग्न है।

म.प्र. शासन द्वारा संघ को प्रशिक्षित (तकनीकी एवं व्यवसायिक दक्षता युक्त मानव संसाधन) आउटसोर्सिंग का कार्य करने के लिये स्वीकृति प्रदान की गई **(परिशिष्ट–2)** एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, म.प्र. के द्वारा संघ को अपने मूल कार्यो के साथ मानव संसाधन आउट सोर्सिंग एजेंसी का कार्य करने हेतु अनुमति दी गयी है।

राज्य सहकारी संघ द्वारा म.प्र. शासन सहकारिता विभाग एवं आयुक्त सहकारिता से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर **जल संसाधन विभाग संभाग राजगढ, सुठालिया परियाना जल संसाधन विभाग जिला राजगढ़, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल, लोक निर्माण विभाग, एम.पी. एलाईड हेल्थ केयर कांउसिंग भोपाल, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, सांची यूनिवर्सिटी, गांधी मेडीकल कॉलेज भोपाल, महिला बाल विकास श्योपुर, सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय सागर, जल संसाधन विभाग भोपाल, अटल भू–जल योजना भोपाल, विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु विकास विभाग, कृषि उपज मण्डियों, कार्यालय कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच एवं रतलाम, नगर पालिका छतरपुर, म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक(अपेक्स बैक), म.प्र.राज्य सहकारी आवास संघ, म.प्र. राज्य सहकारी वनोपज संघ, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. भोपाल, खण्डवा, शाजापुर, सतना, शिवपुरी, खरगोन, मंदसौर, विदिशा,गुना, देवास, धार, होशंगाबाद, दमोह, रायसेन, मुरैना, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, म.प्र. राज्य सहकारी अभिकरण, म.प्र. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रचर एण्ड (एआईएफ), म.प्र.राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, शास.महा.गुनौर जिला पन्ना** एवं अन्य संस्थानों/विभागों में (सी.ए. विधि सलाहकार, डवलपर, पी.आर.ओ. आई.टी. एक्सपर्ट, अर्किटेक्ट, पटवारी, सुरक्षागार्ड, गनमैन, सफाई कर्मी, भृत्य, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, सिविल इंजीनियर, कम्प्यूटर इंजीनियर (एल–1), इन्वेन्टरी मैनेजर (एमबीए), राज्य समन्वयक, समन्वयक, लिपिक, वाहन चालक ,वार्ड बॉय ,वार्ड आया ,केयर टेकर एवं अन्य) आउटसोर्स के रूप में कर्मचारियों की सेवाएँ सीधे उनके कार्य आदेश पर प्रदान कर रहा है।

म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग की स्वीकृति अनुसार संघ द्वारा दक्ष मानव संसाधन सेवा प्रदाय करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित है :–

1. राज्य संघ द्वारा ग्राहक संस्था की मांग पर प्रत्येक पद हेतु तीन योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों का पैनल भेजा जायेगा। जिसमें से संस्था अपने लिये उपयुक्त कर्मचारी को चिन्हित करेगी।
2. ग्राहक संस्था द्वारा चिन्हित कर्मचारी को राज्य संघ में ग्राहक संस्था की आवश्यकता/कार्यप्रणाली पर संबंधित कर्मचारी को एक दिवस से लेकर 30 दिवस (जैसी आवश्यकता हो) प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
3. तत्पश्चात प्रशिक्षित कर्मचारी को निर्धारित स्थान पर उपस्थित होने हेतु संबंधित एजेंसी के माध्यम से निर्देशित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु कुल भुगतान योग्य राशि पर संघ द्वारा 9 प्रतिशत (सर्विस व्यय के रूप में) सुविधा प्रदाय शुल्क लिया जायेगा।

अतः विनम्र निवेदन है कि आपके विभाग में यदि मानव संसाधनों की आवश्यकता है तो संख्या अनुसार उनकी योग्यता एवं देय मानदेय के संबंध में प्रावधानों से अवगत कराने का कष्ट करें ताकि इस संबंध में यथाशीघ्र अग्रिम कार्यवाही करते हुए आपकी संस्था/विभाग को उपयुक्त गुणवत्ता के मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा सके।

हमें आशा ही नही पूर्ण विश्वास भी है कि म.प्र. राज्य सहकारी संघ को आपकी संस्था/विभाग का सहयोग प्राप्त होगा।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

महाप्रबंधक

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल

सेवा प्रदाता निती



Madhya Pradesh State Cooperative Union Ltd. Bhopal

E-8/77, ShahpuraTrilanga Road, Bhopal-462039

Ph: 0755 2726160, 2725518, 9826821281 Fax: 2726160

E-mail: rajyasanghbpl@yahoo.co.in Website: www.mpscu.in

मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय

क्रमांक /7309/2021/15-1 भोपाल, दिनांक -09-2021

प्रति,

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं, म.प्र.
भोपाल

विषयः-म.प्र. राज्य सहकारी संघ को प्रशिक्षित तकनीकी एवं व्यावसायिक दक्षतायुक्त मानव संसाधन सेवा प्रदाता आउटसोर्स एजेंसी के रूप में कार्य के संबंध में।

संदर्भ -आयुक्त सहकारिता की ई-जस्ती दिनांक 11.8.2021 (कंप्यूटर नं. 73039)

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयुक्त सहकारिता की संदर्भित ई-जस्ती कंप्यूटर नं 73039 दिनांक 11.8.2021 द्वारा राज्य सहकारी संघ के प्रस्ताव पर मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक दिनांक 4.8.2021 के संदर्भ में आयुक्त सहकारिता द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार राज्य सहकारी संघ को मूल कार्यों के साथ-साथ मानव संसाधन आउटसोर्सिंग एजेंसी का कार्य करने संबंधी प्रस्ताव पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

2. निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में सहकारी अधिनियम / नियम के प्रावधान अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(मनोज सिन्हा)
उप सचिव
सहकारिता विभाग
भोपाल, दिनांक 03-09-2021

पृ.क्रमांक /017/7309/2021/15-1

प्रतिलिपि/-

प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल।

उप सचिव
सहकारिता विभाग

307
6-9-21

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐ (म.प्र)

पता विन्ध्याचल भवन, भोपाल – 462005
दूरभाष–0755–2551134 (Email-rcs.edutrain@mp.gov.in)

क्रमांक / शिप्र / 2021 / 86 भोपाल, दिनांक 07/09/2021

प्रति,

प्रबंध संचालक
म.प्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित
भोपाल

विषय: संघ द्वारा प्रशिक्षित (तकनीकी एवं व्यवसायिक दक्षता युक्त मानव संसाधन) सेवा प्रदाता / आउटसोर्स एजेंसी के रूप में कार्य करने बाबत।

संदर्भ: (1) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा ई–आफिस से प्रेषित प्रस्ताव File No COP/0011/2021-MPSCU- MPSCU (Computer No 67448) दिनांक 07-07-2021

(2) म.प्र शासन सहकारिता विभाग का पत्र क्रमांक /017 / 13039 / 2021 / 15–2 दिनांक 03.09.2021

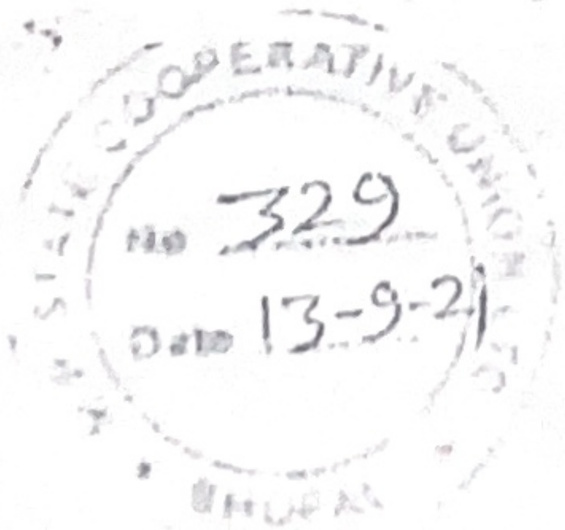
विषयान्तर्गत म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा संदर्भित ई–गवर्नेंस से प्रदेश के सहकारी क्षेत्र अन्तर्गत मानव संसाधन प्रदाता एजेंसी के रूप में कार्य करने बाबत प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी में विचार किये जाने के उपरांत अनुसंशा सहित राज्य शासन को प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था।

राज्य सहकारी संघ के उक्त प्रस्ताव पर संदर्भित पत्र क्रमांक (2) द्वारा म.प्र शासन, सहकारिता विभाग से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त स्वीकृति के तारतम्य में राज्य सहकारी संघ को एतद द्वारा राज्य सहकारी बैंक को मानव संसाधन सेवा प्रदाता एजेंसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाती है।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं म.प्र
भोपाल 07/09 दिनांक 2021

क्रमांक / शि.प्रशि. / 2021 / 86
प्रतिलिपि:
1– अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग की ओर सूचनार्थ।
2– निज सचिव, मान.मंत्री जी, सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग, म.प्र. शासन को ओर भेजकर मान.मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं म.प्र



मानव संसाधन पॉलिसी

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी की बैठक आज दिनांक का कार्यवाही विवरण

विषय : संघ व्दारा प्रशिक्षित (तकनीकी एवं व्यावसायिक दक्षता युक्त मानव संसाधन)सेवा प्रदाता/आऊटसोर्स एजेंसी के रूप में कार्य प्रारम्भ करने बाबत।

टिप्पणी:

वर्तमान परिवेश में व्यावसायिक दक्षता हेतु क्षमता वर्धन के क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र काफी पिछड़ रहा है। संघ स्वयं के अति सीमित वित्तीय संसाधनों व अधोसंरचना से सहकारी संस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुसार दक्ष व्यावसायिक क्षमतायुक्त कर्मचारियों को तैयार करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदाय करता है किन्तु वह पर्याप्त नहीं है। संघ अपने कर्मचारियों का वेतन व प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रबंधन हेतु राज्य शासन व्दारा उपलब्ध कराई गई बजटीय सहायता पर ही निर्भर करता है। उल्लेखनीय हैं कि राज्य शासन व्दारा वर्ष 2020-21 में संघ के बजटीय सहायता में 60 प्रतिशत से अधिक का कटौत्रा कर दिया गया है। COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में यह स्थिति और भी जटिल हो गई है। ऐसी स्थिति में संघ व्दारा अपने आय संवर्धन हेतु — अन्य आयवर्धक गतिविधि प्रारंभ करना अपरिहार्य हो गया है। COVID-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक गतिरोध का मुकाबला करने हेतु भी यह नवाचार प्रदेश के सहकारी आन्दोलन की दशा और दिशा दोनों में ही सकारात्मक परिणाम दे सकता है। किन्तु यह तभी संभव हो सकेगा जब हमारी संस्थायें कौशल युक्त मानव संसाधन (Skilled Manpower) के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर लाभ कमा सकें जिसका आज नितान्त अभाव है। एक अनुमान अनुसार केवल आत्म निर्भर भारत योजना के प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु तत्काल लगभग 500 मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी जो अगले 2 वर्षों में 5000 तक जा सकती है। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग एवं

इससे सम्बद्ध सहकारी संस्थाओं में लगभग 3000 आऊटसोर्स कर्मचारी की आवश्यकता है।

म.प्र.राज्य सहकारी संघ प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु गठित शीर्ष सहकारी संस्था है। जिसके माध्यम से प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदाता एजेंसी (Human Resource Provider Agency) के रूप में न केवल सहकारी बल्कि गैर सहकारी क्षेत्रों की इस कमी को दूर किया जा सकता है। संघ की उपविधियों (Bylaws) में भी व्यवस्था दी गई है कि संघ सहकारिताओं के उन्नयन एवं मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसी गतिविधियां प्रारम्भ कर सकता है जिससे सहकारी संस्थाओं को तकनीकी तथा अन्य सहायता प्रदाय कर उनकी कठिनाईयों व समस्याओं का समाधान कर सकता है। साथ ही राज्य शासन व पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. के आदेशानुसार भी कोई कार्य/गतिविधि संचालित कर सकता है। (परिशिष्ट-1) प्रदेश स्तर पर संघ की सदस्य सहकारी संस्थाओं व अन्य सहकारी संस्थाओं व्दारा उनकी इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु संघ से अपेक्षा की जाती रही है।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. व्दारा दिनांक 1.9.2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना की एक बैठक में आयुक्त महोदय व्दारा भी संघ से मानव संसाधान प्रदाता एजेंसी के रूप में कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रबंध सचालक को आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया है।

संघ विभिन्न संस्थाओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप मानव ससाधान उपलब्ध कराने हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं का पैनल बनाकर उक्त संस्था व्दारा निर्धारित योग्यता एवं दक्षता के कर्मचारियों को संस्थाओं को उनकी माग अनुसार प्रदान कर सकता है। वर्तमान में एमपीकान व अन्य प्रायवेट आऊटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से मानव ससाधन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है जो सहकारी क्षेत्र से सम्बद्ध न होने के कारण सहकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार दक्ष कर्मचारियों की पूर्ति करने में प्रभावशाली नहीं हुए हैं।

Scanned with OKEN Scanner

(क) उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.10.2017 को प्राधिकृत अधिकारी की बैठक में इसी प्रकार निजी संस्थाओं का एक पैनल गठन करने का निर्णय लिया गया था (परिशिष्ट-2) तथा दिनांक 17.11.2017 को पुनः प्राधिकृत अधिकारी की बैठक में पैनल गठन हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं के मूल्यांकन में चयन हेतु न्यूतनतम 70 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता तय की गई। (परिशिष्ट-3) इस प्रकरण में भी वही मापदण्ड अपनाया जावेगा जो शासकीय भण्डार क्रय नियम के अनुसार है-

1. संघ की वेबसाईट पर विज्ञापन जारी कर इच्छुक संस्थाओं से Expression of Interest (EOI) प्राप्त किया जाना। (परिशिष्ट-4)

2. संघ अन्तर्गत मूल्यांकन समिति का गठन करना जिसमें कार्यालय आयुक्त सहकारिता से एक प्रथम श्रेणी अधिकारी, संघ के विधि सलाहकार, संघ के चार्टर्ड एकाउन्टेंट एवं संघ के राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे।

3. मूल्याकन समिति व्दारा प्राप्त प्रस्तावों/EOI का परीक्षण व मूल्यांकन किया जाना। (परिशिष्ट-5 (प्रपत्र-01, प्रपत्र-02, प्रपत्र-03))

4. मूल्यांकन उपरान्त चयनित संस्थाओं (इम्पैनल्ड एजेंसी) की सूची तैयार करना।

5. राज्य सहकारी संघ व्दारा चयनित संस्थाओं (इम्पैनल्ड एजेंसी) के साथ MOU का निष्पादन करना।

6. चयनित संस्थाओं (इम्पैनल्ड एजेंसी) की सूची आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें को इस अनुरोध के साथ प्रेषित करना कि वे विभाग एवं प्रदेश की समस्त सहकारी संस्थाओं/शासकीय विभागों/ उपक्रमों को संघ व्दारा सृजित सेवा के बारे में सूचित करें जिससे वे संघ व्दारा सृजित इस सेवा का लाभ ले सकें।

7. भविष्य में आवश्यकता होने पर अन्य नवीन सेवा प्रदाता एजेंसियों को उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार चयनित किया जा सकेगा।

(ख) उपरोक्तानुसार राज्य सहकारी संघ स्तर पर दक्ष कर्मचारियों की सेवायें प्रदान करने हेतु पैनल का गठन हो जाने पर प्रदेश की विभिन्न सहकारी संस्थाओं/विभाग/संस्थान (ग्राहक संस्था) व्दारा मानव संसाधन की मांग पूर्ति के लिए संघ व्दारा निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी:-

1. प्रत्येक सहकारी संस्था एवं अन्य विभागों से संबंधित संस्था/संस्थान (ग्राहक संस्था) को राज्य सहकारी संघ व्दारा एक पद के विरूद्ध कम से कम 3 कर्मचारियों का पैनल संबंधित संस्थान (ग्राहक संस्था) में भेजा जावेगा। उक्त पैनल में से अपने लिए योग्य कर्मचारी चिन्हित करने का काम ग्राहक संस्था व्दारा किया जावेगा।

2. उक्त चिन्हित कर्मचारी को राज्य सहकारी संघ व्दारा आऊट सोर्स के रूप में संबंधित ग्राहक संस्था में भेजने से पूर्व ग्राहक संस्था की आवश्यकता के अनुरूप आधारभूत प्रशिक्षण अपने प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रदान करेगा जिससे ग्राहक संस्था को दक्ष एवं कार्य संचालन में कुशल कर्मचारी प्राप्त हो सके। तत्पश्चात उक्त चिन्हित व प्रशिक्षित किये गये कर्मचारियों को राज्य सहकारी संघ व्दारा ग्राहक संस्था में उपस्थित होने हेतु संबंधित पैनल्ड विशेषज्ञ एजेंसी को निर्देशित किया जावेगा।

3. उक्त चिन्हित व प्रशिक्षित कर्मचारी आऊटसोर्स के रूप में उक्त विभाग/संस्थान(ग्राहक संस्था) की निर्धारित आवश्यकताओं तक कार्य करेगा। उसके बाद उसकी सेवायें पुनः संघ के संबंधित इम्पैनल्ड एजेंसी को वापिस हो जावेगी।

4. राज्य सहकारी संघ एवं चयनित इम्पैनल्ड एजेंसी के बीच निष्पादित MOU में यह स्पष्ट प्रावधान होगा कि राज्य संघ संबंधित कर्मचारी के किसी भी कानूनी दावा (Legal Claim) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा बल्कि आऊटसोर्स कर्मचारियों की

समस्त जिम्मेदारी संबंधित इम्पैनल्ड एजेंसी की होगी।

5. संघ केवल नोडल सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाईडर) एजेंसी के रूप में इम्पैनल्ड एजेंसियों का नेतृत्वकर्ता, समन्वयक व नियंत्रक का ही कार्य करेगा जिससे संघ को केवल सर्विस चार्ज के रूप में आय प्राप्त होगी।

6. संघ सर्विस चार्ज के रूप में 9 प्रतिशत की राशि संबंधित सहकारी संस्था/विभाग/संस्थान से प्राप्त करेगा, जिसमें संघ का एवं इम्पैनल्ड एजेंसी दोनों का हिस्सा सम्मिलित होगा।

7. संघ एवं इम्पैनल्ड एजेंसी के बीच सर्विस चार्ज का वितरण उनके व्दारा प्रस्तुत EOI एवं दोनों के बीच निष्पादित MOU के प्रावधान अनुसार निर्धारित होगा। परन्तु किसी भी दशा में संघ कुल सर्विस चार्ज के 33 प्रतिशत से कम दर पर कोई MOU नहीं करेगा।

8. सुरक्षा गार्डो को प्रदाय करने में संघ की भूमिका सुरक्षा गार्ड प्रदायक एजेंसी को चयनित करने की होगी। इसलिए इस कार्य में भी संघ व्दारा कोई लायसेंस आदि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

औचित्य एवं लाभः

1. विभिन्न सेक्टरों के लिए वांछित गुणवत्ता युक्त मानव ससाधन की आपूर्ति- वर्तमान में राज्य संघ एवं विभिन्न संस्थाओं व्दारा बाजार से आऊट सोर्स के रूप में जो मानव संसाधन प्राप्त किये जा रहे हैं उनको सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनकी सेवायें प्राप्त होने के बाद भी बहुत सा समय उन्हें संस्थाओं की कार्यप्रणाली समझने में लग जाता है तथा उक्त संस्थाओं व्दारा सहकारी व्यवसायिक प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था भी नहीं की जाती है जिसके परिणाम स्वरूप

संस्थाओं व्दारा किये जा रहे व्यय की तुलना में पर्याप्त व गुणवत्ता युक्त सेवायें संस्थाओं को नहीं मिल पाती है। सहकारी संस्थाओं में उनके व्यवसाय का एकाधिकार समाप्त हो रहा है इसलिए राज्य संघ प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक और कार्य कुशल कर्मचारियों को संस्थाओं की आवश्यकता अनुरूप उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। साथ ही संघ आऊट सोर्स कर्मचारियों को शासन की वर्तमान योजनाओं तथा सहकारी क्षेत्र की प्राथमिकताओं के अनुसार नियमित अंतराल पर अपने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा क्योंकि सहकारी क्षेत्र की प्राथमिकतायें निरन्तर बदल रही हैं तथा शासन की योजनाओं में भी आधारभूत एवं गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। वर्तमान कार्यरत सेवा प्रदाता एजेंसियां (एमपी कॉन आदि) ऐसी सुविधाऐं नहीं दे रही हैं।

स्पष्ट है कि संघ व्दारा प्रस्तावित यह नवीन गतिविधि सहकारी क्षेत्र में एक उपयुक्त नवाचार होकर प्रदेश के सहकारी आन्दोलन को बल प्रदान करेगा। सहकारिता के 7 सिद्धान्तों में एक सहकारिताओं के बीच सहयोग (Cooperation among Cooperatives) के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण आऊट सोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की आपूर्ति कर राज्य संघ सहकारिताओं के विस्तार, उन्नयन, लाभप्रदता, विविधता एवं क्षेत्रीय आत्म निर्भरता को प्राप्त करने में उपयोगी होगा जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से IT, Agri, Business, Finance, Marketing, Engineering व अन्य सभी प्रकार के कौशलयुक्त मानव ससाधन उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य संघ सहकारी संस्था होने के कारण सहकारी व्यवसाय एवं संस्थाओं की व्यावसायिक आवश्यकता को भली भांति समझता है, इसलिए संघ के माध्यम से चयनित कर्मचारियों में व्यावसायिक कार्यकुशलता भी सुनिश्चित हो सकेगी।

1. संघ की आय में वृद्धि - राज्य सहकारी संघ अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रबंधन हेतु राज्य शासन से बजटीय अनुदान पर निर्भर करता है। मानव संसाधन प्रदाता एर्जेसी के रूप में राज्य संघ को यथेष्ठ नियमित आय सुनिश्चित हो सकेगी जिससे न केवल संघ की कमजोर आर्थिक स्थिति बेहतर होगी बल्कि संघ के जीर्ण-शीर्ण हो रहे अधोसंरचनाओं का कायाकल्प कर वांछित state of the art प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण कर प्रशिक्षणों की गुणवत्ता बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

2. सस्ती लागत पर सुविधा प्रदाय - संघ व्दारा दी जाने वाली यह सेवा प्रचलित बाजार दर से अपेक्षाकृत कम होगी जिसका आर्थिक लाभ ग्राहक संस्थाओं को मिलेगा। वर्तमान में एमपीकॉन आदि संस्थाओं व्दारा सर्विस चार्ज के रूप में 10 से 12 प्रतिशत की राशि विभिन्न सहकारी संस्थाओं से प्राप्त की जा रही है। राज्य सहकारी संघ व्दारा सहकारिता विभाग एवं सहकारी संस्थाओं से प्रचलित बाजार दर से कम राशि सर्विस चार्ज के रूप में प्राप्त करेगा जिससे ग्राहक संस्थाओं/विभागों का वित्तीय व्यय भी कम हो जायेगा।

2. रोजगार सृजन - उपरोक्त के अतिरिक्त एक अन्य बड़ा लाभ यह भी होगा कि प्रदेश में वढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने में आऊटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में सहकारी क्षेत्र का यह एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।

इस प्रस्ताव का वैधानिक परीक्षण संघ के विधिक सलाहकार व्दारा कराया गया है जिसमें उनके व्दारा अभिमत दिया गया है कि मानव संसाधन प्रदाता एजेंसी के रूप में म.प्र. राज्य सहकारी संघ व्दारा कार्य प्रारम्भ किया जाना संघ की उपविधियों एवं म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अनुकूल है। प्रस्ताव का क्रियान्वयन नियमानुसार किया

अतः उपरोक्तानुसार पूर्व में गठित किये गये विशेषज्ञ पैनल के गठन में अपनाई गई प्रक्रिया अनुसार संघ व्दारा मानव संसाधन प्रदाता एजेंसी के रूप में कार्य प्रारम्भ करने विषयक प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत है। निर्णय की प्रति आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना भी प्रस्तावित है।

निर्णयः-

कार्यालय व्दारा प्रस्तुत टीप का अवलोकन किया गया। म.प्र. राज्य सहकारी संघ की आर्थिक सुदृढ़ता एवं विभिन्न सस्थाओं में आऊट सोर्सिंग के रूप में लगने वाले दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संघ व्दारा उपयुक्त सेवा प्रदाताओं का पैनल गठित कर मानव संसाधन प्रदाता एजेंसी के रूप में कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय लिया जाता है। प्रस्तावित नियमों व मापदण्डों के अनुसार पैनल गठित करने हेतु आगामी समस्त कार्यवाही करने के लिए म.प्र. राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक को अधिकृत किया जाता है। साथ ही प्रस्ताव आयुक्त सहकारिता एव पंजीयक सहकारी संस्थायें की ओर अनुमोदनार्थ प्रेषित करने का भी निर्णय लिया जाता है।

अनुमोदित।

05/07/2021 5:50 PM

Ajit Kesari
(ADDITIONAL CHIEF SECRETARY)

Note No. #3

कृपया विषयांतर्गत अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता एवं संघ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव का अवलोकन हो जिसमें आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. का अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

तदानुसार कृपया अनुमोदन देना चाहेगे।

07/07/2021 3:52 PM

RITURAJ RANJAN
(MANAGING DIRECTOR)